



कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)



क्रमांक / डी.एम.एफ. / 2023-24 / 4724 // विज्ञापन //

जगदलपुर, दिनांक 02/08/2023

बस्तर जिले अन्तर्गत संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (UPHC) में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढीकरण हेतु जिला खनिज न्यास मद जगदलपुर अंतर्गत मेडिकल आफिसर के रिक्त पदों की पूर्ति करने हेतु वॉक इन इंटरव्यू (Walk- In-Interview) आयोजित किया जा रहा है। रिक्त पद का विवरण निम्नानुसार है :-

पद क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	श्रेणीवार रिक्त पद				शैक्षणिक योग्यता	एकमुश्त मासिक मानदेय
			UR	ST	SC	OBC		
01	Medical Officer-UPHC DHARAMPURA	01	01	00	00	00	Essential Qualification – MBBS + Registration In Concerned Medical Council Of India/ Chhattisgarh Medical Council.	77,350.00 Per Month

नियम एवं शर्तें –

1. आवेदन पत्र के संबंध में :-

1.1 इच्छुक उम्मीदवार वांछित समस्त दस्तावेजों की मूलप्रति एवं आवेदन के साथ **दिनांक 07.08.2023** को प्रातः **11:00 बजे** से **पूर्वाह्न 02:00 बजे** तक कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर, जिला बस्तर में उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं।

1.2 संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :-

- 10 वीं एवं 12 वीं की अंक सूची।
- एम.बी.बी.एस. शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्ष की अंक सूची।
- इन्टरशिप पूर्ण संबंधी प्रमाण पत्र।
- एम.बी.बी.एस. शैक्षणिक योग्यता की डिग्री। (स्थायी)
- पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर आई) की प्रति।
- छ.ग. मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन (स्थायी) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. चयन का आधार :- शैक्षणिक योग्यता का 90% + 10 अंक (अनुभव प्रति वर्ष 02 अंक अधिकतम 10अंक)
3. आयु सीमा :- 01 जनवरी 2023 को अधिकतम 70 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 01 जनवरी 2023 के आधार पर की जावेगी। इस आयु सीमा में सभी प्रकार के छूट शामिल हैं।

भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा-निर्देश :-

4. अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता (अंक सूची/सर्टिफिकेट) शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से होना अनिवार्य है।
5. चयनित उम्मीदवार को वेतन मानदेय एकमुश्त मासिक राशि देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
6. पदस्थापना स्थल का निर्धारण वरीयता सूची के आधार पर किया जावेगा।
7. उपरोक्त पद 03 माह के लिए है एवं पूर्णतः अस्थायी है, आवश्यकतानुसार अवधि बढ़ाई जा सकती है।
8. चयनित उम्मीदवार कार्यकाल के दौरान निजी संस्था में कार्य नहीं कर सकते हैं, यदि कोई उम्मीदवार चयन उपरांत निजी संस्था में कार्य करते पाये जाते हैं, तो उनकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
9. भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार के विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भर्ती हेतु गठित चयन समिति जिला बस्तर का होगा।

10. प्रत्येक आवेदक विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे।
11. अपराधिक प्रवृत्ति एवं कदाचरण व अन्य अनैतिक कार्य में लिप्त पाये गये आवेदक द्वारा आवेदन करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
12. अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो राजपत्रित अधिकारी/स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकावे।
13. उपरोक्त पदों पर आवेदन के साथ वांछित योग्यता प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता, अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एम.सी.आई./छ.ग. मेडिकल काउंसलिंग से पंजीयन व अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति अनिवार्यतः स्वसत्यापित कर संलग्न करे, संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त करने का अधिकार चयन समिति को होगा।



मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)

